भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4010

12 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

बिहार में पीडीएस के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें

4010. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के कार्यनिष्पादन का आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिहार में चल रही उचित मूल्य की दुकानों की महाराजगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित जिलेवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या बिहार में अनाज का व्यपवर्तन, कम वज़न तौलना, नियत दिनों पर दुकानें न खोलना और उचित दर की दुकान के डीलरों के विरुद्ध शिकायतों जैसी अनियमितताओं के मामलों की सूचना मिली है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है, साथ ही दोषी डीलरों के विरुद्ध की गई कार्रवाई क्या है और निगरानी, निरीक्षण और जवाबदेही में सुधार के लिए किए गए उपाय क्या हैं; और

(ड.) क्या सरकार का इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (ईपीओएस) डिवाइस, डिजिटल स्टॉक प्रबंधन और अन्य प्रौद्योगिकी-आधारित सुधारों के माध्यम से बिहार में उचित दर की दुकानों को आधुनिक बनाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ड.): जी हाँ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमजीकेएवाई के कार्यान्वयन के आकलन हेतु समवर्ती मूल्यांकन किया। इस आकलन में, अन्य बातों के साथ-साथ, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कामकाज सहित परिचालन प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। आकलन के परिणाम राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर तैयार किए गए हैं।

...2/-

सेवा वितरण और अवसंरचना एवं आपूर्ति श्रृंखला के अंतर्गत प्रदर्शन संकेतक एफपीएस के कामकाज का आकलन करते हैं। बिहार राज्य सेवा वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, जबकि अवसंरचना एवं आपूर्ति श्रृंखला में मध्यम प्रदर्शन करता है। समवर्ती मूल्यांकन सर्वेक्षण के अनुसार, एफपीएस के कामकाज के संबंध में विभिन्न संकेतकों के सेवा वितरण और अवसंरचना एवं आपूर्ति श्रृंखला के अनुमानित प्रतिशत **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

बिहार में एनएफएसए के अंतर्गत कुल 51,965 उचित दर दुकानें (एफपीएस) हैं और ज़िलावार एफपीएस का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का प्रचालन केंद्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के विनिर्दिष्ट डिपो तक परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्न के आवंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण, उचित दर दुकानों के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, एफपीएस के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की प्रचालन संबंधी जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित शिकायतों के निवारण और लाभार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हेल्पलाइन नंबर 1967/1800 (राज्य श्रृंखला संख्या) चालू है। तदनुसार जब भी इस विभाग में पीडीएस से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जांच और उचित कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार, यह आदेश राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इन आदेशों के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान करता है।

देश में (बिहार सहित) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और पारदर्शिता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

i. **डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग:** सभी राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस का 100% डिजिटलीकरण किया गया है; 99.7% राशन कार्ड आधार से जुड़े हुए हैं, जिससे अपात्र/डुप्लिकेट कार्ड समाप्त हो गए हैं।

ii. **पारदर्शिता और शिकायत निवारण:** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण/टोल-फ्री हेल्पलाइन चालू हैं।

...3/-

iii. **ऑनलाइन आवंटन और आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण:** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन आवंटन लागू किया गया है; 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुददुचेरी और दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण को अपनाया है) में आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

iv. **एफपीएस स्तर पर ई-पीओएस आधारित आधार प्रमाणीकरण:** 5.51 लाख उचित दर दुकानों में से 5.50 लाख (99.8%) ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से स्वचालित हैं, जिससे वितरण स्थल पर लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित होता है और डायवर्जन में कमी आती है।

v. **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी):** सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी लागू की गई है, जिसमें पीएमजीकेएवाई के सभी लाभार्थी शामिल हैं; अब तक 221 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जिससे बहिष्करण और पात्रता दावों की पुनरावृत्ति में कमी आई है।

vi. **उचित लक्ष्यीकरण (आरटी):** आधार/पीडीएस डाटा विश्लेषण का उपयोग करके एक समर्पित डी-डुप्लिकेशन और लाभार्थी सत्यापन कार्रवाई से अपात्र/डुप्लिकेट लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें हटाने में मदद मिली है, जिसमें 5.95 करोड़ चिह्नित लाभार्थी (भूमि धारक मामलों को छोड़कर) और 2.35 करोड़ हटाए गए लाभार्थी शामिल हैं।

vii. **स्मार्ट-पीडीएस सुधार पहल:** राज्य स्तरीय टीपीडीएस प्रचालन को और अधिक मानकीकृत करने और डिजिटल रूप से एकीकृत करने के लिए राशन कार्ड प्रबंधन, वितरण, आपूर्ति श्रृंखला और शिकायत निवारण मॉड्यूल के साथ इसे लागू किया जा रहा है।

viii. **निर्मल और सक्षम:** सार्थक पीडीएस व्यापक योजना (2026-31) के तहत नई पहल का उद्देश्य खाद्यान्न की खरीद से लेकर लाभार्थियों तक वितरण (सक्षम) संबंधी डाटा संरचना/विश्लेषण (निर्मल) और वास्तविक समय में डाटा एकीकरण (वीएलटीएस सहित) को मजबूत करना है।

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 12.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4010 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं	सर्वेक्षण के अनुसार, संकेतकों का अनुमानित प्रतिशत	राज्य
1.	एक ही एफपीएस दौरे में लाभार्थियों का राशन प्राप्त करना।	97.3
2.	लाभार्थियों का 30 मिनट के भीतर राशन प्राप्त करना।	66.5
3.	एफपीएस द्वारा स्वच्छता के संतोषजनक मानकों का पालन करना।	47.8
4.	एफपीएस में आइरिस स्कैनर लगे होना।	62.3
5.	एफपीएस द्वारा मैन्युअल वजन प्रणाली का उपयोग करना।	10.4
6.	एफपीएस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वजन प्रणाली का उपयोग करना।	96.2
7.	एफपीएस द्वारा वजन मशीन अंशांकन करना।	90.5
8.	एफपीएस द्वारा व्हाट्सएप संचार प्रणाली के माध्यम से जुड़े होना।	99.4
9.	एफपीएस मालिकों द्वारा एफपीएस की परिचालन व्यवहार्यता की रिपोर्ट करना।	31.3
10.	एफपीएस द्वारा ओएनओआरसी लेनदेन की सुविधा उपलब्ध कराना।	93.4
11.	एफपीएस द्वारा ओएनओआरसी सेवाओं का सक्रिय रूप से कार्यान्वयन करना।	68.4
12.	एफपीएस की निगरानी सतर्कता समितियों द्वारा की जाना।	30.1
13.	एफपीएस द्वारा शिकायत पंजीकरण प्रणाली का रखरखाव करना।	51.1

लोकसभा में दिनांक **12.08.2026** के उत्तरार्थ में अतारांकित प्रश्न संख्या **4010** के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

बिहार में जिला-वार उचित दर दुकानों की संख्या		
क्रं.सं.	**जिले का नाम**	**उचित दर दुकान**
1	अररिया	1,472
2	अरवल	323
3	औरंगाबाद	1,363
4	बांका	1,071
5	बेगूसराय	1,495
6	भागलपुर	1,412
7	भोजपुर	1,610
8	बक्सर	941
9	दरभंगा	1,982
10	गया	2,075
11	गोपालगंज	1,446
12	जमुई	854
13	जहानाबाद	503
14	कैमूर (भभुआ)	900
15	कटिहार	1,546
16	खगरिया	846
17	किशनगंज	835
18	लखीसराय	518
19	मधेपुरा	1,001
20	मधुबनी	2,145
21	मुंगेर	671
22	मुजफ्फरपुर	2,397
23	नालन्दा	1,408
24	नवादा	1,116
25	पश्चिम चंपारण	1,909
26	पटना	2,635
27	पूर्वी चंपारण	2,651
28	पूर्णिया	1,405
29	रोहतास	1,516
30	सहरसा	991
31	समस्तीपुर	2,196
32	सारण	2,322
33	शेखपुरा	303
34	शिवहर	343
35	सीतामढ़ी	1,671
36	सिवान	1,667
37	सुपौल	1,102
38	वैशाली	1,324
कुल		**51,965**
